भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 762

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) की स्थापना हेतु दिशानिर्देश

762. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पीओपीएसके की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले वर्तमान दिशानिर्देशों या मानदंडों का ब्यौरा क्या है और देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों में उनके आवंटन के लिए विचार किए जाने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर चेन्नई में कोई पीएसके/पीओपीएसके नहीं है क्योंकि प्रधान डाकघर जीपीओ हार्बर विधायक और केन्द्रीय चेन्नई संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि महा डाकपाल (पीएमजी) चेन्नई ने कहा है कि पेरियार नगर डाकघर में पीओपीएसके के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है;

(घ) क्या सरकार पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो पीओपीएसके स्थापित करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो पीओपीएसके की अनुमति देने के लिए वर्तमान नीति या दिशानिर्देशों की समीक्षा और संभावित रूप से संशोधित करने को, यदि आवश्यक समझा जाए, के लिए अपेक्षित समय-सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश भर में विशेषकर चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों में नागरिकों के लिए कुशल और सुलभ पासपोर्ट सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के साथ मिलकर जनवरी 2017 में देश के मुख्य डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों (पीओ) में सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था, जिन्हें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कहा जाता है। ये केंद्र प्रत्येक ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएससी) में खोले जाएंगे, जहां कोई पीएसके या पीओपीएसके नहीं है। आज तक, देश में 93 पीएसके और 442 पीओपीएसके स्थापित किए जा चुके हैं और पासपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं।

(ख) एवं (ग) डाक विभाग ने तमिलनाडु के उत्तर चेन्नई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पेरियार नगर स्थित डाकघर में स्थान के लिए प्रस्ताव दिया है। तकनीकी दृष्टि से प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

(घ) एवं (ङ) जब सभी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाएगा, तो पीएसके/पीओपीएसके संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा सकेगा, ताकि किसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक पीओपीएसके की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।

(च) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को कई तरीकों से सरल बना दिया है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, उदार और आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं, जिससे भारत के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) उपयोगकर्ता अनुकूल है, तथा भारत में कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक-अनुकूल पहल ने आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार उस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के अंतर्गत वांछित पीएसके/पीओपीएसके का चयन करने में सक्षम बनाया है, जहां वे अपना आवेदन

प्रस्तुत करना चाहते हैं, भले ही आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। नागरिक एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं, तथा पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने हेतु उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती है। एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यह पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें पीएसके/पीओपीएसके का स्थान, लागू शुल्क, आवेदन जमा करने के तरीके और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति का पता लगाना शामिल है। मंत्रालय के एमपासपोर्ट पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कागज रहित डिजिटल प्रक्रिया में आवेदकों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, डिजिलॉकर को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों को कागज रहित तरीके से डिजिलॉकर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट को तेजी से जारी करने के लिए एक 'तत्काल योजना' है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकार ने पुरुष से महिला या महिला से पुरुष के रूप में लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

*****